BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No.58 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 167/2024/PB)

In Re: News item titled" Jamshedpur Sidgoda mein nadi se avaidh rup se Balu dhulai ka khel jari prashashan maun" appearing in Prabhat Khabar dated 24.12.2023.

. ...Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. .... Respondent(s)

INDEX

S. N.	**Particulars**	**Page No.**
1.	**Counter Affidavit on Behalf of Jharkhand State Pollution Control Board.**	**1-8**
2.	**Annexure-A:** True copy of Board's letter No.B-632 dated 01/03/2024	**9**
3.	**Annexure-B:** True copy of the Action Taken Report dated 11/03/2024	**10-25**

Filed by: -

Kumar Anurag Singh
Advocate
State of Jharkhand

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No.- A/AB 22/89 Ranchi (Jharkhand) India

ADVOCATES CLERK WELFARE FUND ₹5 FIVE RUPEES

SPECIAL ADHESIVE

ADVOCATE WELFARE FUND ₹15 FIFTEEN RUPEES JHARKHAND

Authorised under Notaries Act 1952 & Notaries Rules 1956 Govt. of Jharkhand, Ranchi (India)

Ref.No. 348 Date 10 JUL 2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No.58 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 167/2024/PB)

In Re: News Item titled "Jamshedpur Sidgoda mein nadi se avaidh rup se Balu dhulai ka khel jari prashashan maun" appearing in Prabhat Khabar dated 24.12.2023

.... **Applicant(s)**

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors.

.... **Respondent(s)**

Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board in compliance of the order dated 26/02/2024 & 01/05/2024

I, KUMAR MANIBHUSHAN, son of L.K.SHAHI presently posted as the Environmental Engg. Jharkhand State Pollution Control Board,

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No. A/AB 22/89 Ranchi (Jharkhand) India

Ranchi and am duly authorized to swear this affidavit and do here by solemnly state and affirm as follows: -

1. That, at present, I am working and posted as Environmental Engineer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.

2. That, I have gone through the order dated 26/02/2024 and 01/05/2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, and have understood the contents therein.

3. That, I have been authorized to swear this affidavit by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.

4. That, the instant O.A. was taken up *Suo moto* by the Principal Bench of Hon'ble NGT on the basis of news item titled "**Jamshedpur Sidgoda mein nadi se avaidh rup se Balu dhulai ka khel jari prashashan maun**" published in Prabhat Khabar dated 24.12.2023 wherein it has been alleged that large scale illegal extraction of sand is in progress in Subarnrekha River at Sidhgora Police station area. It has been further revealed that the said

MITHILESH NARAYAN NOTARY RANCHI Reg. No.

extraction is taking place near Baridih district school at night. The sand extractors transport illegally extracted sand through tractors and extract the sand from deep water of the river using boats and sell it illegally at the rate ranging from Rs.3500 to 4000. It has further been alleged in the news item that the said activity is going on in collusion with the police officers.

5. That, it is humbly stated and submitted that in view of substantial issue relating to compliance of environmental norms raised in the said news item, the Principal Bench of Hon'ble Tribunal, New Delhi vide Order dated 12.02.2024, was pleased to implead the following as respondents in the matter:

   (i) Jharkhand State pollution Control Board through its Member Secretary.

   (ii) Deputy Commissioner / District Magistrate, East Singhbhum, Jamshedpur.

6. That, it is humbly stated and submitted that in pursuance of the said order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi passed in O.A No.167 of 2024, the Member Secretary, Jharkhand State

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No. A/AB 22/89 Ranchi (Jharkhand) India

Pollution Control Board, vide letter/ref. no. B-632 dated 01.03.2024, directed the Deputy Commissioner-cum-Chairman, District Task Force (Mining), East Singhbhum and the District Mining Officer-cum-Member Secretary, District Task Force (Mining), East Singhbhum to submit Action Taken Report (ATR) against the alleged illegal sand mining as revealed in the News Item dated 24.12.2023 published in Prabhat Khabar.

Photocopy of letter/Ref.No.B-632 dated 01.03.2024 is annexed and marked **Annexure-A**

7. That it is humbly stated and submitted that the District Mining Officer, East Singhbhum, Jamshedpur in response to the said letter, submitted the action taken report vide letter no. 219 dated 11.03.2024. The Report inter alia provides a brief account of the actions taken from time to time against illegal transportation of sand from Subarnrekha River within Sidgora police station area and the details of F.I.R lodged/Inspections carried out which has been summarized in tabular form as follows:-

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No.- A/AB 22/89 Ranchi (Jharkhand) India

Sl no	Date	Place of Occurance	No.of vehicles Seized	Quantity of minerals seized	Comments
1	22.02.2021	Bagunhatu River bed	01	70 cuft sand	Penalty/Fine of Rs. 50,000/was realized against transporta -tion of illegal sand.
2	03.07.2021	Baridih & Bagunhatu River bed	…..	………	FIR lodged against 3 accused persons in Sidgora PS Case No.85/21 dated
3	06.07.2021	Baridih River bed	01	80 cuft sand	Sidgoda P.S Case No.86/21 dated 06.07.2021 lodged
4	03.08.2021	Bhuiyadih River bed	01	80 cuft sand	Sidgoda P.S Case No.113/21 dated 03.08.2021 lodged
5	10.01.2022	Baridih River bed	01	80 cuft sand	Sidgoda P.S Case No.07/22 dated 10.01.2022 lodged
6	14.02.2022	Baridih River bed	01	80 cuft sand	Sidgoda P.S Case No.31/22 dated 14.02.2022 lodged
7	28.08.2022	Near Sidgora P.S	02	300cuft sand	Penalty/Fine of Rs. 80,000/was realized against transporta -tion of illegal sand.
8	23.12.2022	Sidgora P.S area	02	200cuft sand	Sidgoda P.S Case No.201/22 dated 23.12.2022 lodged
9	19.04.2023	Sidgora P.S area	01	200cuft sand	Sidgoda P.S Case No.100/23 dated 10.04.2023 lodged
10	06.11.2023	Sidgora P.S area	01	100cuft sand	Penalty/Fine of Rs. 25,000/was realized against transporta -tion of illegal sand.
11	24.12.2023	Sidgora P.S area	02	200cuft sand	Penalty/Fine of Rs. 1,00,000/was realized against transportation of illegal sand.

NOTARY
RANCHI

Summary:

(1) Total no. of vehicles seized...13

(2) Total volume of sand seized ...1270 cuft.

(3) Total no. of FIR lodged ...07

(4) Total Penalty realized ...Rs 2.55 Lakhs

Photocopy of Action Taken Report (ATR) dated 11.03.2024 is annexed and marked **Annexure-B**

8. That, it is humbly stated and submitted that the Report mentions that in the captioned matter the Circle Officer, Keredari Circle and Officer in-charge of Police Station conducted site inspections of Pachra River, Sayal River, Navakhap River and Mansukhiya River sites to check illegal mining and transportation of sand and are keeping appropriate and necessary vigilance over these places so that there are no instances of uplifting of illegal sand from the sites in question.

9. That it is stated and submitted that the said Report further affirmed that during inspection no instances of uplifting of illegal sand have been found in the aforesaid mentioned sites. Furthermore, inspection

was also carried over the places Garikhurd, Dabhabaghi, Paniyagarha and Hendegir and no illegal storage of sand have been found in these locations.

10. That it is humbly stated and submitted that the Hon'ble Court may be pleased to accept the submissions made in the instant affidavit and/or pass order as the Hon'ble Tribunal may deem fit and proper for adjudication of the matter.

11. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.

12. That the statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.

DEPONENT

MITHILESH NARAYAN JHA
NOTARY
RANCHI
Reg. No.-
A/AB 22/89
Ranchi (Jharkhand) India

VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this the day of ……… July, 2024 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Kumar Manibhushan

DEPONENT

Authorised under Notaries Act 1952 & Notaries Rules 1956, Jharkhand Ranchi

10 JUL 2024

Ref.No 348 Date

NOTARY PUBLIC
RANCHI

ARUN NARAYAN JHA
NOTARY
RANCHI
Reg. No.-
A/AB 22/89
(Jharkhand) India

10/7/2024

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

By Email

Hon'ble NGT Matter
Time Bound (Urgent)

Ref. No............ Ranchi, Dated........................

Annexure- 'A'

From,
Yatindra Kumar Das,
Member Secretary.

To,
The Deputy Commissioner – Cum –
Chairman, District Task Force (Mining),
East Singhbhum.

The District Mining Officer – Cum –
Member Secretary, District Task Force (Mining),
East Singhbhum.

Sub: - Action Taken Report against the illegal sand mining in light of the order dated 26/02/2024 in O. A. No. 167/2024 in the matter of News item titled "Jamshedpur Sidgoda mein nadi se avaidh rup se Baalu dhulai ka khel jaari prashashan maun" appearing in Prabhat Khabar dated 24.12.2023 – Regarding.

Sir,

With reference to the above noted subject, it is, to inform that the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi on dated 26/02/2024 in O. A. No. 167/2024 in the matter of News item titled "Jamshedpur Sidgoda mein nadi se avaidh rup se Baalu dhulai ka khel jaari prashashan maun" appearing in Prabhat Khabar dated 24.12.2023 has taken the matter for hearing and passed the order (copy enclosed). The OA is transferred to the Eastern Zonal Bench for appropriate further action. The matter will be listed before Eastern Zone Bench, Kolkata on 01.05.2024.

In light of the above, it is, hereby directed to submit the Action Taken Report against the illegal sand mining in light with the above said News Item appearing in the Prabhat Khabar dated 24.12.2023 to the undersigned by 31/03/2024 so that the Response may be filed in time before the Hon'ble NGT, EZB, Kolkata.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: As above

Yours Sincerely
Sd/-
(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary

Memo No. B-632 Ranchi, Dated 01/03/2024

Copy to: The Regional Officer, JSPCB Regional Office – Cum – Laboratory, Jamshedpur for information and it is directed to follow up with the District Task Force (Mining), East Singhbhum and get the Action Taken Report at an earliest.

(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No.- A/AB 22/09 Ranchi (Jharkhand) India KMB/706

Annexure-'B'

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(Email Id - dmo-jamshedpur@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक 219 /खनन

दिनांक 11/03/2024

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

Sri. Yatindra Kumar das
Member Secretary
Jharkhand State Pollution Control Board
Dhurwa, Ranchi.

विषय – **Action Taken report against the illegal sand mining in light of the order dated 26.02.2024 in O.A No. – 167/2024 in the matter of news item titled "Jamshedpur Sidgoda mein nadise avaidh rup se baalu dhulai ka khel jaari prashashan maun" appearing in prabhat Khabar dated 24.12.2023 Regarding.**

प्रसंग– आपका पत्रांक B-632 /राँची, दिनांक 01.03.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना अर्न्तगत सुवर्णरिखा नदी से अवैध बालू ढुलाई के संबंध में समय–समय पर कार्रवाई की गई है तथा इससे संबंधित की गई कार्रवाई प्राथमिकी/निरीक्षण आदि से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कृपया भेजी जा रही है।

अनु0 – यथो।

विश्वासभाजन

11/03/24
जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

13/3

18.03.24

Sri S. K. Srivastava
11/03/2024

2091
13/3/2024

NOTARY
RANCHI

Scanned with CamScanner

जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना अर्न्तगत सुवर्णरेखा नदी से अवैध बालू ढुलाई के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन :–

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला के सिदगोड़ा थाना अर्न्तगत सुवर्णरेखा नदी से अवैध बालू ढुलाई के संबध में समय–समय पर कार्रवाई की जाती रही है तथा इस संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हेतु कार्यालय पत्रांक 1082/खनन, दिनांक 14.10.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को नियम संगत कार्रवाई करने के लिये पत्र दिया गया एवं इसके अविलंब रोक–थाम एवं कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी, सिदगोड़ा को भी पत्र दी गई। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ कृपया संलग्न की जा रही है। दिनांक 21.01.2023 एवं 19.02.2023 को किये गये क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान अवैध बालू भण्डारणकर्ता के द्वारा बड़े वाहन ट्यूब के साथ निर्मित बांस एवं चचरी युक्त सहायता से बालू उठाव करने वाले साधन को ध्वस्त कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान बालू ढुलाई अवैधकर्ता भाग गये। साथ ही खान निरीक्षक के साथ पूर्व में सुवर्णरेखा नदी बालू घाट का निरीक्षण किया गया था, जिसके संबंध में किये गये निरीक्षण संबंधी फोटोग्राफ की प्रति इसके संलग्न है। विषयांकित क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में की गई कार्रवाई यथा दायर प्राथमिकी की विवरणी भी इसके साथ संलग्न है (छायाप्रति संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोक–थाम हेतु जिले में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स गठित है, जिसके अंतर्गत उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के सभी सदस्यों/पदाधिकारियों के साथ माहवार बैठक का आयोजन किया जाता है। जिसमें अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोक–थाम हेतु की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है तथा अवैध खनन/परिवहन से संबंधित शिकायत/सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई के लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा निदेश के आलोक में संबंधित विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाती है।

अनु० – यथो०।

11/03/24

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

MITHILESH RAI
NOTARY
RANCHI

Scanned with CamScanner

सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बालु घाटों में बालु के उत्खनन, भंडारण एवं प्रेषण के बाबत अबतक की गई र्यवाही का ब्यौरा –

क्र०	दिनांक	स्थल	जप्त वाहन की संख्या	जप्त खनिज की मात्रा	अभियुक्ति
1	22.02.2021	बागुनहातु नदी घाट	01	बालु 70 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 50,000/– की वसुली की गई है। जुर्माना राशि वसुली गई।
2	03.07.2021	बारीडीह एवं बागुनहातु नदी घाट	......	....	अवैध बालु उत्खनन के बाबत कुल 03 व्यक्तियों के विरूद्ध सिदगोड़ा थाना कांड संख्या – 85/21, दिनांक 03.07.21 दर्ज।
3	06.07.2021	बारीडीह नदी घाट	01	बालु 80 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 86/21, दिनांक 06.07.2021 दर्ज।
4	03.08.2021	भुईयाँडीह नदी घाट	01	बालु 80 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 113/21, दिनांक 03.08.2021 दर्ज।
5	10.01.2022	बारीडीह नदी घाट	01	बालु 60 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 07/22, दिनांक 10.01.2022 दर्ज।
6	14.02.2022	बारीडीह नदी घाट	01	बालु 80 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 31/22, दिनांक 14.02.2022 दर्ज।
7	29.08.2022	सिदगोड़ा थाना के करीब	02	बालु 300 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 80,000/– की वसुली की गई है। जुर्माना राशि वसुली गई।
8	23.12.2022	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	02	बालु 200 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 201/2022, दिनांक – 23.12.2022 दर्ज।
9	19.04.2023	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	01	बालु 100 cft.	सिदगोड़ा थाना कांड सं0 – 100/2023, दिनांक – 19.04.2023 दर्ज।
10	06.11.2023	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	01	बालु 100 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 25,000/– की वसुली की गई है। जुर्माना राशि वसुली गई।
11	24.12.2023	सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत	02	बालु 200 cft.	अवैध बालु के परिवहन के बाबत जुर्माना की राशि कुल रू0 1,00,000/– की वसुली की गई है। जुर्माना राशि वसुली गई।

MITHILESH NARAYAN JHA
NOTARY
RANCHI
Reg. No.-
A/AB 22/89
Ranchi (Jharkhand) India

Scanned with CamScanner

GPS Map Camera
Jamshedpur, Jharkhand, India
R742+J72, Begun Nagar, Baridih, Jamshedpur, Jharkhand 831017, India
Lat 22.807181°
Long 86.251394°

GPS Map Camera
Jamshedpur, Jharkhand, India
R742+J72, Bagun Nagar, Baridih, Jamshedpur, Jharkhand 831017, India
Lat 22.807181°
Long 86.251394°

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

[Email id – dmo-jamshedpur@jharkhandmail.gov.in]

पत्रांक 1452 /खनन

दिनांक 14/10/23

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

अंचलाधिकारी
जमशेदपुर,
जिला – पूर्वी सिंहभूम।

विषय – सुवर्णरेखा नदी में सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बाबुडीह लाल भट्ठा बारा घाट, (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत) अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध।

प्रसंग – अमल कुमार, बाबुडीह लाल भट्ठा, सिदगोड़ा, जमशेदपुर का पत्र दिनांक – 12.10.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि सुवर्णरेखा नदी में सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बाबुडीह लाल भट्ठा बारा घाट, (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत) अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन करने के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अवैधकर्त्ता का नाम भी अंकित किया गया है, जो क्रमशः निम्नप्रकार है– राजकिशोर, अशोक, डोमन पूर्ति, चेतन लियांगी, डोमन हेम्ब्रम, पंडित एवं सोनाराम सुन्डी इन सभी का पता बाबुडीह, लालभट्ठा पत्र में अंकित किया गया है। पत्र में बालू खनिज का निकासी बोरा में भरकर स्कुटी एवं मोटरसाईकिल के माध्यम से किया जाता है। स्कुटी का नं0 – JH05CM – 8373 एवं JH05CL – 7485 पत्र में वर्णित है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति असमाजिक आचरण के है एवं अशांति एवं नशापान को बढ़ावा किया जा रहा है। जिसके कारण आस–पास के रहने वाले बस्ती के लोग इन लोगों के आतंक से काफी परेशान है।

अतएव प्रासंगिक पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित बालूघाट क्षेत्रों से बालू खनिज के अवैध खनन कर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)
जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 1452 /खनन, दिनांक 14/10/23

प्रतिलिपि – थाना प्रभारी, सिदगोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी उपरोक्त क्षेत्र में बालू लघु खनिज के अवैधकर्त्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(हस्ताक्षर)
जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

CS CamScanner
Scanned with CamScanner

NOTARY
RANCHI
Reg. No.-
A/AB 22/89
Ranchi (Jharkhand) India

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(Email Id-dmo-jamshedpur@Jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक–1082 / खनन दिनांक 14.10.2023

22A

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

सेवा में

अंचलाधिकारी,
जमशेदपुर,
जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– **सुवर्णरेखा नदी में सिदगेड़ा थाना अंतर्गत बाबुडीह लाल भट्ठा बारा घाट, (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत) अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **अमल कुमार, बाबुडीह लाल भट्ठा, सिदगोड़ा, जमशेदपुर का पत्र दिनांक–12.10.2023**

महाशय

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि सुवर्णरेखा नदी में सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बाबुडीह लाल भट्ठा बारा घाट, (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत) अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन करने के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अवैधकर्त्ता का नाम भी अंकित किया गया है, जो क्रमशः निम्नप्रकार है– राजकिशोर, अशोक, डोमन पूर्ति, चेतन लियांगी, होपन हेम्ब्रम, पंडित एवं सोनाराम सुन्डी इन सभी का पता बाबुडीह, लालभट्ठा पत्र में अंकित किया गया है। पत्र में बालू खनिज का निकासी बोरा में भरकर स्कुटी एवं मोटरसाईकिल के माध्यम से किया जाता है। स्कुटी का नं0–JH-05-CM-8873 एवं JH-05-CL- 7485 पत्र में वर्णित है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति असमाजिक आचरण के है एवं अशांति एवं नशापान को बढ़ावा किया जा रहा है। जिसके कारण आस–पास के रहने वाले बस्ती के लोग इन लोगों के आतंक से काफी परेशान है।

अतएव प्रासंगिक पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित बालूघाट क्षेत्रों से बालू खनिज के अवैध खनन कार्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त। विश्वासभाजन्

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

ज्ञापांक–1082 / खनन दिनांक 14.10.2023

प्रतिलिपिः–थाना प्रभारी, सिदगोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी उपरोक्त क्षेत्र में बालू लघु खनिज के आरोपकर्त्ता के विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

[Email id – dmo-jamshedpur@jharkhandmail.gov.in]

पत्रांक 874 / खनन दिनांक 23-08-2023

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

अंचलाधिकारी
जमशेदपुर / बहरागोड़ा / चाकुलिया
जिला – पूर्वी सिंहभूम।

विषय – लघु खनिज का अवैध खनन / परिवहन के संबंध में विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची से प्राप्त शिकायत पत्र पर त्वरित कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग – विशेष शाखा, झारखण्ड राँची का पत्रांक – 698 / विकास प्र0, राँची, दिनांक – 27.07.2023, अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ज्ञापांक 1817 / रा0, दिनांक 08.08.2023 पुलिस उप–महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा पत्रांक 1301 / गो0 दिनांक 28.07.2023 एवं अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ज्ञापांक 1821 / रा0 दिनांक 08.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत विशेष शाखा से प्राप्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में खान निरीक्षक द्वारा दिनांक – 14.08.2023 को क्षेत्रिय भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन एवं मण्डारण कर ट्रैक्टर द्वारा बिक्री किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त कर पटमदा थाना को सौंपते हुए दिनांक – 14.08.2023 को प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। यहाँ यह उल्लेख करना है कि विशेष शाखा से समय – समय पर प्राप्त हो रहे ऐसे सभी शिकायत पर अपने स्तर से भी कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि बालू खनिज की अवैध खनन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

विश्वासभाजन

अनु0 – यथोक्त।

(हस्ताक्षर)
जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
23/8/23

ज्ञापांक 874 / खनन, दिनांक 23-08-2023

प्रतिलिपि – थाना प्रभारी, पटमदा, श्यामसुन्दरपुर एवं बहरागोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी उपरोक्त विषय वस्तु के आलोक में समय – समय पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर)
जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
23/8/23

CS CamScanner
Scanned with CamScanner

NOTARY
Reg. No.
A/AB 22/89
Ranchi, Jharkhand India

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(Email Id-dmo-jamshedpur@Jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक–874 / खनन | दिनांक 23.08.2023

23A

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

सेवा में

अंचलाधिकारी,
जमशेदपुर / बहरागोड़ा / चाकुलिया,
जिला–पूर्वी सिंहभूम।

विषय :– लघु खनिज को अवैध खनन / परिवहन के संबंध में विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची से प्राप्त शिकायत पत्र पर त्वरित कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग :– विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–696 / विकास प्र0, राँची, दिनांक–27.07.2023, अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ज्ञापांक 1817 / रा0, दिनांक–08.08.2023 पुलिस उप–महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा पत्रांक– 1301 / गो0 दिनांक–28.07.2023 एवं अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ज्ञापांक–1821 / रा0 दिनांक–08.08.2023

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत विशेष शाखा से प्राप्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में खान निरीक्षक द्वारा दिनांक – 14.08.2023 को क्षेत्रिय भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से बालू, खनिज का उत्खनन पूर्व भण्डारण कर ट्रैक्टर द्वारा बिक्री किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त कर पटमदा थाना को सौंपते हुए दिनांक 14.08.2023 को प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। यहाँ यह उल्लेख करना है कि विशेष शाखा से समय–समय पर प्राप्त हो रहे ऐसे सभी शिकायत पर अपने स्तर से भी कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि बालू खनिज की अवैध खनन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन्

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

ज्ञापांक–874 / खनन दिनांक 23.08.2023

प्रतिलिपि:–थाना प्रभारी, कदमा, श्यामसुन्दरपुर एवं बहरागोड़ा जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी उपरोक्त विषय वस्तु के आलोक में समय–समय पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

(13)

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(Email id – dmo-jamshedpur@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक 814 /खनन दिनांक 10.08.2023

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

थाना प्रभारी
कदमा।

विषय – कदमा थानान्तर्गत खरकई नदी तट पर कदमा–आदित्यपुर टॉल ब्रिज के निकट स्थानीय महिलाओं द्वारा अवैध बालू उठाव कर बिक्री किये जाने के संबंध में।

प्रसंग – पुलिस अधीक्षक (आसूचना), विशेष शाखा, झारखण्ड राँची का पत्रांक – 89C/विकास प्र0, राँची, दिनांक – 27.07.2023 एवं अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ज्ञापांक 1817/रा0, दिनांक 08.08.2023 एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र ,चाईबासा पत्रांक 1301/गो0 दिनांक 28.07.2023 एवं अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ज्ञापांक 1821/रा0, दिनांक 08.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र में प्राप्त सूचनानुसार पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला अन्तर्गत कदमा थानान्तर्गत खरकई नदी तट पर कदमा – आदित्यपुर टॉल ब्रिज के निकट बीएन सिंह एरिया एवं बागे बस्ती अवस्थित झोपड़ पट्टी में रहने वाली महिलाओं द्वारा खरकई नदी से बोरा में बालू भरकर नदी घाट से उपर रोड पर लाकर लगभग 15 से 20 बोरा जमा होने के उपरांत स्थानीय बालू कारोबारी से संपर्क कर प्रति टेम्पु 700 रूपये की दर तथा 70 से 80 रूपये प्रति बोरा बालू की बिक्री किये जाने की सूचना है। उल्लेखनीय है कि बी0एन0 सिंह भट्ठा के पास रहने वाले गणेश गौड़, मुन्नी, टेम्पू चालक रवि तथा बागे बस्ती के निवासी काला चाँद, बाबु लोहार के द्वारा अवैध तरीके से बालू का उत्खनन/बिक्री एवं सोनारी थाना क्षेत्र के शक्ति महतो, पता – विलास बस्ती, राम महतो, पता – विलास बस्ती, पिंटु सिंह, पता – रामनगर, रोड नं0 – 02 तथा शिव कुमार के द्वारा खरकई नदी घाट से अवैध रूप से बालू की खरीद बिक्री किये जाने की सूचना है।

अतः निदेश दिया जाता है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

अनु0 – यथोक्त।

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 814 /खनन, दिनांक 10.08.2023
प्रतिलिपि – अंचलाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

10/8/23

CamScanner
Scanned with CamScanner

जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(Email Id-dmo-jamshedpur@Jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक–814 / खनन दिनांक 10.08.2023

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

सेवा में

थाना प्रभारी,
कदमा।

विषय :– कदमा थानान्तर्गत खरकई नदी तट पर कदमा–आदित्यपुर टॉल ब्रिज के निकट स्थानीय महिलाओं द्वारा अवैध बालू उठाव कर बिक्री किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– पुलिस अधीक्षक (आसूचना), विशेष शाखा, झारखण्ड राँची का पत्रांक–806 / विकास प्र0, राँची, दिनांक 27.07.2023 एवं अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ज्ञापांक 1817 / रा०, दिनांक 08.08.2023 एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र चाईबासा पत्रांक 1301 / गो० दिनांक 28.07.2023 एवं अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर ज्ञापांक 1821 / रा०, दिनांक 08.08.2023

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र में प्राप्त सूचनानुसार पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला अन्तर्गत कदमा थानान्तर्गत खरकई नदी तट पर कदमा–आदित्यपुर टॉल ब्रिज के निकट बीएन सिंह एरिया एवं बागे बस्ती अवस्थित झोपड़ पट्टी में रहने वाली महिलाओं द्वारा द्वाव खस्कई नदी से बोरा में बालू भरकर नदी घाट से उपर रोड पर लाकर लगभग 15 से 20 बोरा जमा होने के उपरांत स्थानीय बालू कारोबारी से संपर्क कर प्रति टेम्पु 700 रूपये की दर तथा 70 से 80 रूपये प्रति बोरा बालू की बिक्री किये जाने की सूचना है। उल्लेखनीय है कि बी०एन0 सिंह भट्ठा के पास रहने वाले गणेश गौड़, मुन्नी, टेम्पू चालक रवि तथा बागे बस्ती के निवासी काला चाँद, तांतु लोहार के द्वारा अवैध तरीके से बालू का उत्खनन / बिक्री, एवं सोनारी थाना क्षेत्र के शक्ति महतों, पता – विलास बस्ती, शंभू महतो, पता–विलास बस्ती, पिंटू सिंह, पताः रामनगर, रोड नं0– 02 तथा शिव कुमार के द्वारा खरकई नदी घाट से अवैध रूप से बालू की खरीद बिक्री किये जाने की सूचना है।

अतः निदेश दिया जाता है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0–यथोक्त। विश्वासभाजन्

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

ज्ञापांक–814 / खनन दिनांक 10.08.2023

प्रतिलिपिः–अंचलाधिकारी, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला खनन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।

Gmail

JSPCB RANCHI <ranchijspcb@gmail.com>

Regarding Letter no. - 219, Dated - 11.03.2024

1 message

Sanjay Kumar Sharma <dmo-jamshedpur@jharkhandmail.gov.in> Mon, Mar 11, 2024 at 6:58 PM
To: ranchijspcb <ranchijspcb@gmail.com>

Respected Sir,

Please find the attachment.

Thanks & Regards.

DMO, Jamshedpur.

letter no. 219, Dated 11.03.2024.pdf
4540K

MITHILESH NARAYAN JHA
NOTARY
RANCHI
Reg. No.-
A/AB 22/89
Ranchi (Jharkhand) India